

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- मैसर्स टीकाराम इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
1. अपील संख्या 1874 /2011/भरतपुर
- मैसर्स विनायक ऑयल, इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
2. अपील संख्या 1875 /2011/भरतपुर
- मैसर्स श्री महावीर ऑयल, इण्डस्ट्रीज, भरतपुर
3. अपील संख्या 1876 /2011/भरतपुर

बनाम

...अपीलार्थीनाम.

1. उपायुक्त (अपील्स), भरतपुर।
2. सहायक आयुक्त,
गाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत्त, भरतपुर।

....प्रत्यर्था.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक।
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्था की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25.02.2016

उपरोक्त अपीलें अपीलार्थी उपायुक्त (अपील्स), गाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश क्रमशः अपील संख्या 213, 241, 242/10-11 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश राजस्थान वैट अधिनियम (जिसको आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 24, 33, 55 व 61 सपठित धारा 9 सीएसटी एक्ट, 1956 वर्ष 2010-11 हेतु पारित आदेश दिनांक 20.07.2010 सपठित आदेश दिनांक 18.08.2010 व दिनांक 20.09.2010 को आंशिक रूप से स्वीकार किया है एवं आंशिक रूप से प्रतिप्रेषित किया है। जिसमें निम्नतालिका के अनुसार पुष्टि की गई राशियों को यहां विवादित किया गया है :-

अपील संख्या	वर्ष	उपायुक्त अपील्स का आदेश दिनांक	विवादित मांग राशि		
			कर	शांति	ब्याज
1874 / 11	10-11	21.04.11	1,14,547	4,70,848	79,456
1875 / 11	10-11	21.04.11	2,23,132	6,59,136	1,11,229
1876 / 11	10-11	21.04.11	16,853	44,942	7,584

समस्त तीनों प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में पृथक-पृथक रखी जावे।

लगातार.....2

प्रकरण के विवादित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायियों की वर्ष 2006-07 सम्बन्ध में घोषित सरसों तेल की अन्तर्स्थायी बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्र प्रारूप "सी" की वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त ब, भरतपुर द्वारा बिहार राज्य से करयी गई प्रति सत्यापन जांच में व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र प्रारूप "सी" केता व्यवहारियों को बिहार के संबंधित कार्यालयों द्वारा निर्गत होना नहीं पाया गया अर्थात् व्यवसायी द्वारा घोषणा पत्र सी मिथ्या एवं कूटरेखित प्रस्तुत किये गये है। तदुपरान्त Prosecutor should not be a judge Notification No. 2536 P. 3(म) / ज्यूरिस / कर / आयुक्त / 97 / 536 दिनांक 07.08.09 की अनुपालना में प्रकरण की पत्रावलियां वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त ब, भरतपुर से कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायीगण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 24, 55 व 61 सपठित केन्द्रीय विकय कर अधिनियम की धारा 9 के तहत दिनांक 20.07.10 (सपठित अपील संख्या 1876 / 11 संशोधित आदेश दिनांक 18.08.2010 व अपील संख्या 1875 / 11 दिनांक 20.09.2010) में व्यवसायियों के विरुद्ध मांग कायम की गई। जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने तालिका के अनुसार विवादित मांग की पुष्टि की गई, जिसको अपीलार्थीगण द्वारा बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश मनमाने आधारों पर व व्यवसायी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं देने के कारण इसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाना अनुचित है। अतः आदेश अपारत करने योग्य है।

क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि जब व्यवसायीगण के विरुद्ध करव्यवना का कोई वाद नहीं बनाया गया एवं व्यवसायीगण फर्मा का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया एवं न ही व्यवसायीगण के बहिशात में कोई इन्द्राज होना नहीं पाया गया एवं न ही व्यवसायीगण द्वारा कोई गलत सूचना प्रस्तुत की गई तब तक उक्त प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृ ब, भरतपुर से कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित करना विधिसम्मत नहीं है। अतः बिना क्षेत्राधिकार के कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। कर निर्धारण की समस्त कार्यवाही बिहार राज्य से प्राप्त सत्यापन जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है जिसे सर्वेक्षण नहीं कहा जा सकता। इसलिये वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त ब, भरतपुर से पत्रावली का स्थानान्तरण बिना क्षेत्राधिकार के व नियमानुसार गलत है। इसलिये कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अभिभाषक के अनुसार विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। कानून के अनुसार अधिनियम की धारा 24 में एक ही समय व

एक ही टर्नओवर के तहत एक से अधिक कर निर्धारण पारित नहीं किये जा सकते। अपीलार्थी व्यवसायीगण के तिमाही कर निर्धारण अधिनियम की धारा 24 संपठित 9 ऑफ सी0एस0टी0 एक्ट के तहत पूर्व में ही पारित किये जा चुके हैं, जिनमें आदेश पारित किये गये हैं, वे "सी" प्रपत्रों को स्वीकार कर पारित किये गये हैं। उन्होंने Notification No. F. 12(22)FD/Tax/2008-49 dated 25.08.08 का हवाला दिया, जिसके अनुसार **"Dealer's Who's Assessment are pending for the year 2006-07 or part thereof and 2007-08 or part thereof shall be assessed annually for the year 2006-07 & 2007-08 under section 23 & 24 of the Act as a case may be"** अर्थात् एक बार धारा 24 के तहत कर निर्धारण पारित करने के बाद पुनः धारा 24 के कर निर्धारण पारित करना क्षेत्राधिकार से बाहर है। व्यवसायीगण ने इस सम्बन्ध में Hon'ble Tamil Nadu Taxation Special Tribunal in the case of M/s Classic and company V/s Deputy Commissioner Tax Officer, Bazar Circle, Tirrpur 124 STC 551 का उद्धरण पेश किया।

विद्वान अभिभाषक के अनुसार अधिनियम की धारा 24 के तहत किया गया कर निर्धारण अधिनियम की धारा 90 के तहत भी अमान्य है, जिसके अनुसार **"No Assessment made and no order passed by any officer appointed or authority constituted under this Act shall be called into question except as provided in this Act."** कर निर्धारण अधिकारी को अधिनियम के तहत धारा 24 में किये गये कर निर्धारण को पुनः करने या रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में AIR 1976 SC 789 के उद्धरण का हवाला दिया।

कर निर्धारण अधिकारी ने विद्वान अभिभाषक की प्रारम्भिक आपत्तियों का निर्णीत करने से पूर्व एवं व्यवसायीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने से पूर्व ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये थे। कर निर्धारण अधिकारी ने उनके सामने प्रस्तुत विविध न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिये बिना आदेश पारित किये गये, जिसकी पुष्टि किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30 STC 657, Sales Tax Officer, Ganjam and another V/s Uttareswari Rice mill के प्रकरण में कहा है कि अगर किसी अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य है जो वह किसी व्यवसायी के विरुद्ध कर निर्धारण में काम में लेना चाहता है तो उसे उस व्यवसायी के ध्यान में लाकर और उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद ही आदेश पारित करना चाहिए।

विद्वान अभिभाषक ने Maharaja Ummed Mills Ltd V/s Commissioner of Income Tax Rajasthan and others 121 ITR 641 का हवाला दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने AAC को यह निर्देश दिये कि व्यवसायी की प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णय के बाद प्रार्थना पत्र का निष्पादन किया जाना चाहिये।

II Hon'ble Maras High Court in case of Karam Chand Thapar & Borthers (CS) Limited V/s Commercial Taxes Officers (FEC), Harbour-I Assessment Circle, Chennai, 144 STC 405

III Hon'ble Madras High Court in case of Mutthu Raja Traders V/s Deputy Commercial Taxes Officer 106 STC 283

IV Hon'ble Rajasthan High Court in case of Assam Roller Flour Mills Industrial Area Jhotwara, Jaipur V/s Commercial Taxes Officer Special Circle-II, Jaipur & others 1979 Tax Reporter 463.

परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की अनुचित तौर पर पुष्टि कर दी गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपूर्ण रिपोर्ट जो बिहार से प्राप्त हुई उस पर कार्यवाही की गई, जो व्यवसायी के विरुद्ध काम में नहीं ली जा सकती। अपीलार्थी व्यवसायीगण द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के तहत बिक्री की जो दलालों के मार्फत की गई प्रत्येक विक्रय के साथ वैट-49 इन्श्योरेंस कवर लेटर, रोड परमिट संलग्न किये गये थे। समस्त बिक्री तिमाही बिक्री प्रपत्रों में दर्शायी गई थी एवं क्रेता व्यवसायीगण से "सी" फार्मस प्राप्त किये गये। समस्त इन्द्राज बहियात में दर्ज है जिन्हें सही मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिफण्ड जारी किये गये। बिहार राज्य से प्राप्त जांच रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, जो अपीलार्थी व्यवसायीगण के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में काम में नहीं ली जा सकती है। उनके द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय मैसर्स सास्ता एन्टरप्राइजेज बनाम अपीलेट अथोरिटी का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि एक बार बिक्री पूर्ण हो जाने पर विक्रेता व्यवसायीगण का क्रेता व्यवसायी पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। अतः विक्रेता फर्म पर शास्ति आरोपण उचित नहीं है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उद्धरित निर्णयों को बिना देखे व बिना खरीददार फर्मों की जांच किये एवं बिना सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये व बिना बिहार राज्य के अधिकारियों से Cross Examination के जो आदेश पारित किया गया है एवं जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गई है, वह कानून के विपरीत है। विद्वान अभिभाषक द्वारा निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किये।

- I. CTO A/E V/s Rajasthan Aluminum Industries, Jaipur RTC 1986 page 64
- II. Mukund Singh and Sons V/s Presiding Officers Sales Tax Tribunal Punjab and Haryana High Court 107 STC 300
- III. Rajasthan Tax Board Ajmer in case of CTo A/E Jodhpur V/s Chopra Chemicals 2 TUD 274
- IV. Honourable Rajasthan Tax Board Ajmer in case of Khetawat Industries Jalore V/s CTO A/E Commercial Taxes, Jalore 5 TUD 262.
- V. Honourable Allahabad High Court in case of Ramesh Chand Sashikant V/s Commissioner of Trade Tax U.P. Lucknow 16 VST 177.

अपीलार्थी व्यवसायीगण के विद्वान अभिभाषक ने जाहिर किया कि व्यवसायीगण द्वारा समस्त बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यवसाय के अनुक्रम में की गई थी, एवं बिक्री दलालों के मार्फत की गई थी। प्रत्येक संव्यवहार के साथ बिल-बिल्टी, वैट-249 इन्श्योरेंस कवर लेटर एवं रोड परमिट संलग्न था। अपीलार्थी व्यवसायीगण ने क्रेता व्यवसाइयों से सी फार्मस प्राप्त कर, कर निर्धारण अधिकारी को पेश किये। भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया व समस्त इन्द्राज बहियात में दर्ज थे। इसमें व्यवसायीगण का कोई गलत

लगातार.....5



मनोभाव नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तिमाही का कर निर्धारण पारित कर रिफण्ड जारी किये गये। व्यवसायीगण का कोई दोषी मनोभाव विदित नहीं होता है, एवं बिहार राज्य से प्राप्त जांच रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, जो अपीलार्थी व्यवसायीगण के विरुद्ध काम में नहीं ली जा सकती है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रक भाडा व अग्रिम राशि व सी.एस.टी. पर भी करारोपण किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर सी फार्मस पेश करने के बाद भी 2 प्रतिशत से अन्तर कर आरोपित करना एवं इसकी पुष्टि करना न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है, जिसे समाप्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत जो शास्ति आरोपित की गई है वह उचित नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन को सिद्ध नहीं किया है। समस्त इन्द्राज अपीलार्थी व्यवसायीगण के बहियात में दर्ज है। अपीलार्थी व्यवसायीगण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने CTO Birdi Chand Manchidhar 93 STC 346 का उद्धरण पेश किया। जिसमें अभिमत किया है कि कोई बिक्री अगर बहियात में दर्ज है एवं व्यवसायी की मनोस्थिति करापवंचन की नहीं है तो उस पर शास्ति आरोपणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवसायीगण के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किये।

- II. Hon'ble Supreme Court of India in case of M/s Shri Krishna Electricals Vs State of Tammilnadu and another 23 VST 249.
- III. Hon'ble Rajasthan High Court in case of ACTO Ward Ist Rajasamand Vs Whit Marble House 148 STC 14.
- IV. Hon'ble Rajasthan High Court in case of CTO Jodhpur Vs Kohinoor Industires Jodhpur 18 TUD 139
- V. Hon'ble Rajasthan High Court in case of Murari Lal Ahuja and Son's Vs the Board of Revenue and others 61 STC 303
- VI. Hon'ble Rajasthan High Court in case of Sadhwani Traders Sindhi Colony Adarsh Nagar, Jaipur Vs CTO Antievasion Zone II Jaipur TUD 43.
- VII. Hon'ble High Court in case of Karela in case of Gentle Johap & Company Vs State of Karela 89 STC 494.

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारीगण को ट्रक भाडा अग्रिम राशि व सीएसटी पर देय कर पर ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर प्रतिप्रेषित किया गया है। जिसमें व्यवहारी को उचित राहत प्राप्त हो चुकी है तथापि मिथ्या एवं कूटरचित सी फार्म जो कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये, इस पर करापवंचन स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। क्रेता एवं विक्रेता दोनो व्यवहारीगण द्वारा कर का लाभ अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया है अतः इस पर आरोपित देय कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से उक्त कृत्य हेतु सृजित मांग की पुष्टि की गई है। मिथ्या एवं कूटरचित सी प्रपत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत तथ्य की उक्त सी प्रपत्र दलाल द्वारा उपलब्ध करवाये गये थे,

उनका इसमें कोई दोषी मनोभाव नहीं होना कतई स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अन्तरप्रान्तीय व्यवसाय के क्रम में किसी भी संव्यवहार के संबंध में छूट प्राप्त करने हेतु विहित विधिक प्रपत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी छूट प्राप्तकर्ता की होती है। अतः प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जावें। उन्होंने समान तथ्यों व परिस्थितियों के प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 जो मैसर्स भगवती ऑयल इण्डस्ट्रीज भरतपुर व अन्य के प्रकरणों में पारित किया गया है, में प्रतिपादित व्याख्याओं के आलोक में उक्त अपील खारिज योग्य है एवं इन आधारों पर उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि हेतु निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त प्रकरणों के तथ्य विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित निर्णय जो राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 720, 721, 722, 723, 724, 732, 770, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 817, 818, 820, 835, 836, 837, 842, 1070, 1082, 1083, 1084, 1085, 1724, 1725, 1726, 1727, 1828, 1850, 1870, 1872, 1873, 1877, 1878, 1948/2011 एवं 753/2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 में प्रतिपादित व्यवस्था में समान तथ्य, समान परिस्थिति एवं समान प्रकृति विद्यमान है। अपीलार्थी व्यवहारीगण भरतपुर के तेल मिलें हैं जिन्होंने अपने अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों के समर्थन में दलालों से प्राप्त बोगस "सी" प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिनकी जांच विभाग द्वारा कराये जाने पर बिहार के तत्संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी नहीं किये जाने पाये गये हैं। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उक्त संव्यवहार दलालों के मार्फत किये गये थे और सी प्रपत्र भी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त किये गये थे। अब उक्त दलाल भी परिदृश्य में उपलब्ध नहीं है। उक्त संव्यवहार बिना "सी" प्रपत्र समर्पित ही माने जावेंगे। हस्तगत अपीलों में क्षेत्राधिकार, त्रैमासिक, कर निर्धारण, संशोधन आदेश, शीघ्र प्रतिदाय के मामले, प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के उद्धरण, प्रस्तुत कानून के प्रावधान तथा बिहार के क्रेताओं के साथ संव्यवहार की प्रकृति इत्यादि सभी तथ्य उपरोक्त वर्णित निर्णीत अपीलों के तथ्यों के समानार्थ हैं। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 25.06.2015 में इन तथ्यों पर व्यवस्था सुस्थापित कर दी गई है। तदनुरूप "(130) At the backdrop of above, the mustard oil was taxable @ 4 % in the State of Rajasthan for fiscal 2006-07 and the CST payable on its sale to the registered dealers of other States in the course of inter-Sate trade and commerce from

Rajasthan was @ 2 % on condition of furnishing C forms on strength of Notification no. F 12 (63) FD / Tax/ 2005-101, dated: October 18, 2006 issued under sub-section (5) of section 8 of the CST Act ,1956 in supersession of earlier notification No.F 12 (14) FD/ Tax/ 2006-134, dated: March 03. 2006 whereby rate of the CST payable on the inter-State transactions of mustard oil was stipulated @ 1 per cent which continued until October 17, 2006; but, in case such sales were not carried through by virtue of being fortified with C-forms, they were exigible to tax @ 10 per cent, as was the case in the aforesaid impugned appeals for the year 2006-07 for want of valid C-Forms."


व्यवस्था प्रतिपादित की गई है। उक्त निर्णय की व्यवस्था इन अपीलों के विवेचन में पूर्णतः लागू होती है। अतः अब अलग से विवेचन की आवश्यकता नहीं है। तथापि उक्त निर्णीत अपीलों में अपीलार्थियों के विरुद्ध करापवंचन की शास्ति में राहत दी गई है, चूंकि समस्त परिस्थितियां हस्तगत अपीलों में भी समान है अतः करापवंचन हेतु आरोपित शास्ति राशियों को अपास्त किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा राज्य सरकार के आदेश सं. प. (12) (120)वित्त/कर/2005/पार्ट-ब दिनांक 16.04.2008 के द्वारा राज्य की कर दर से अधिक करारोपण के बिन्दु पर प्रतिरोध किया गया। परन्तु राज्य सरकार के उक्त आदेश में करारोपण करने के पश्चात् ही अपलेखन विधि अनुरूप किया जा सकता है। अतः फिलहाल राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय के अनुसार ही सरसों तेल की अन्तःप्रान्तीय बिक्री पर तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसरण में 10 प्रतिशत की कर देयता में करारोपण किये जाने का औचित्य है। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश इस हद तक परिवर्तित (Modified) किये जाते हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश की अनुपालना कर दिये जाने से अब देयकर के विलम्ब पर ही ब्याज आरोपणीय होगा।

कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 25.06.2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुरूप करारोपण एवं तदनुरूप कम जमा देयकर पर विलम्ब हेतु ब्याज गणना के लिये तीनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाते हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया ।


25.2.2016
(मदन लाल)
सदस्य